

क्र०: एफ 7(5)वित्त/एसपीएफसी/2013

जयपुर दिनांक - 27 APR 2022

परिपत्र

विषय:- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम, 2013 के अनुसरण में संधारित किये जाने वाले अभिलेखों बाबत।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा-10 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 79 द्वारा प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से संधारित किये जाने वाले अभिलेखी दस्तावेजों के संबंध में प्रावधान किये गये हैं। इस हेतु पूर्व में इस विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 12.05.2020 भी जारी किये गया है। परन्तु प्रायः यह देखा गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा उपरोक्त अभिलेखों का पूर्णतः संधारण नहीं किया जा रहा है, जो कि उक्त अधिनियम/नियमों के गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उपापन संस्थाओं का यह कृत्य विभिन्न स्तरों पर अंकक्षण आक्षेप का कारण बनता है तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की मूल भावना पारदर्शिता के अनुकूल भी नहीं है।

अतः समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012/नियम 2013 के प्रावधानों के दृष्टिगत समस्त वांछित अभिलेखों का आवश्यक रूप से संधारण किया जाना सुनिश्चित करावें।

RTPP Act, 2012 की धारा-10 के अन्तर्गत सभी उपापन संस्थाओं हेतु उनके द्वारा किये जाने वाले समस्त उपापनों के सम्बन्ध में निम्नांकित अभिलेख संधारित किये जाने का प्रावधान किया गया है:-

(1) उपापन संस्था अपनी उपापन कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

- (क) धारा 5 के अधीन उपापन की आवश्यकता के अवधारण से सम्बन्धित दस्तावेज;
- (ख) धारा 12 के अधीन उपापन की विषय वस्तु का वर्णन;
- (ग) धारा 29 की उप-धारा (4) के अधीन खुली प्रतियोगी बोली से भिन्न किसी उपापन की पद्धति के चुनाव के लिए कारण का कथन;
- (घ) भाग ले रहे बोली लगाने वालों की विशिष्टियां;
- (ङ.) बोली-पूर्व सम्मेलनों के दौरान सहित स्पष्टीकरणों के लिए अनुरोध और उनके कोई भी प्रत्युत्तर;
- (च) बोली की कीमतें और अन्य वित्तीय निबंधन;
- (छ) बोलियों के मूल्यांकन का सारांश;
- (ज) धारा 38 के अधीन किसी अपील के ब्यौरे, और उनसे सम्बन्धित विनिश्चय;
- (झ) कोई भी अन्य सूचना या अभिलेख, जैसा विहित किया जाये।

(2) धारा 38 के अधीन अपीलों के सम्बन्ध में या किसी बैठक के अनुक्रम सहित किसी उपापन के अनुक्रम में तैयार किये गये या उपापन प्रक्रिया के अभिलेख का भाग कोई दस्तावेज, अधिसूचना, विनिश्चय या कोई अन्य सूचना ऐसे किसी रूप में होगी जो सूचना की अन्तर्वस्तु का अभिलेख उपलब्ध कराती हो और सुगम हो ताकि पश्चातवर्ती निर्देश के लिए उपयोग किये जाने योग्य हो।

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) या अभिलेखों के प्रतिधारण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन, उपापन संस्था उपापन प्रक्रिया या, यथास्थिति, उपापन संविदा के अवसान के पश्चात् किसी युक्तियुक्त कालावधि के लिए, उप-धारा (1) और (2) में उपदर्शित दस्तावेजी अभिलेख को प्रतिधारित करेगी ताकि लेखापरीक्षा या ऐसे अन्य पुनर्विलोकन को समर्थ बनाये।

इसी प्रकार राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 79 के अन्तर्गत भी उपापन के संबंध में उक्त धारा-10 में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त निम्नांकित दस्तावेजी अभिलेख उपापन संस्था को संधारण हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है:-

- (क) बोली की कीमत सहित समस्त बोली लगाने वालों के नाम और पते और यदि बोली सशर्त है तो बोली की शर्तें;
- (ख) उस कीमत सहित, जिस पर उपापन किया गया है, सफल बोली लगाने वाले का नाम और पता;
- (ग) दर संविदा पद्धति के मामले में, उन बोली लगाने वालों के नाम और पते, जिनके साथ दर संविदा की गयी है;
- (घ) बोली दस्तावेजों में किये गये उपातरणों, यदि कोई हो, का सारांश;
- (ङ) अपेक्षित अर्हता, अर्हता रखने वाले बोली लगाने वालों के ब्यौरे और कारणों सहित, अर्हित या अनर्हित बोली लगाने वालों के ब्यौरे;
- (च) जहां कोई लिखित उपापन संविदा निष्पादित की गयी है, वहां दर संविदा को सम्मिलित करते हुए, संविदा की प्रति;
- (छ) पैनलीकरण के मामले में, पैनलीकरण के निबंधन और शर्तें और करार, यदि कोई हो, की प्रति;
- (ज) बोलियों के मूल्यांकन और तुलना का सारांश, लागू अधिमान की किसी सीमा सहित और किसी बोली को खारिज करने या विचार नहीं करने के कारणों, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए,
- (झ) यदि उपापन प्रक्रिया रद्द की जाती है तो रद्दकरण के कारण;

उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना की जावे।



(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यापाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट, राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उपशासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, समस्त विभाग।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



संयुक्त शासन सचिव